



# राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार

(जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग)

**National Water Development Agency**

Ministry of Jal Shakti, Govt. of India

(Department of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation, )



क्रमांक: रा.ज.वि.अ/नाग/अ.प्र/मः06/2020/148-151

दिनांक :12.02.2020

No. NWDA/ID/NGP/ HQ-06/2020/

Date :

## कोटेशन आमंत्रण सूचना/ Notice inviting quotation

**विषय – एम टी एस की सेवाओं की आपूर्ति हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना ।**

**Sub:- Quotation for the supply of services of “MTS”(Semi skilled category)**

प्रतिष्ठित, अधिकृत व पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं से निम्नलिखित सेवाओं हेतु नीचे उल्लेखित नियम व शर्तों पर पूर्णकालिक मासिक समेकित वेतन आधार पर बंद की हुई कोटेशन आमंत्रित की जाती है । कोटेशन इस कार्यालय, अंतर राज्यीय बोर्ड कॉलोनी गेस्ट हाउस, हिसलॉप कॉलेज के सामने, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 में दिनांक 02.03.2020 को 15.00 बजे तक पहुँच जाने चाहिये जो उसी दिन 15.30 बजे खोले जायेंगे । आपूर्तिकर्ता स्वयं या उनके प्रतिनिधि कोटेशन खोलने के समय उपस्थित हो सकते हैं ।

Sealed quotations are invited from the reputed, registered and authorized Agencies for providing the following services on fulltime consolidated monthly wages basis as per **Terms & conditions given below**. Quotation should reach on or before **02.03.2020 at 15.00 hrs** to this office at Inter State Control Board Colony Guest House, Opp: Hislop College, Civil Lines, Nagpur-440001 and the same will be opened at 15.30 hrs on the same day. Supplier or their authorized representative at their own desire may remain present at the time of opening of quotation.

क्रं/ Sl No	सेवा विवरण/ Services descripti on	न्यूनतम योग्यता/Minimum qualification	प्रति माह सेवाओं (संख्याओं में) की आवश्यकता Requirement of Services (in numbers) per Month	काम की संभावित जगह/ Possible place of work	अवधि /Duration
1	अर्धकुशल मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) Semi skilled Multi tasking staff (MTS)	न्यूनतम योग्यता 10वीं पास या आईटीआई समकक्ष। उसकी आयु 18 साल से ऊपर होना चाहिए। उसे कंप्यूटर पर (विशेष रूप से एमएस ऑफिस में) अंग्रेजी / हिंदी में टाइपिंग के अच्छे काम के ज्ञान के साथ-साथ कार्यालय की सामान्य सफाई, घड़ी और वार्ड की इयूटी, बाहरी काम जैसे डाक फाइलों की डिलीवरी आदि पर काम करने में सक्षम होना चाहिए और समय-समय पर कार्यालय / श्रेष्ठ प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य। Minimum qualification X <sup>th</sup> pass or ITI equivalent. He should be above the age of 18 years. He / She should be able to work on computers (particularly in MS Office) along	2	राजविअ कार्यालय, नागपुर NWDA Office at Nagpur	9.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक (30 मिनट लंच के समय सहित)। From 9.00 am to 5.00 pm (including 30 min. Lunch time)

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय:, अन्वेषण प्रभाग, नागपुर. Office of the Executive Engineer, Investigation Division, Nagpur.

अंतर राज्यीय नियंत्रण बोर्ड कॉलोनी गेस्ट हाउस, हिसलॉप कॉलेज के सामने, सिविल लाईन्स, नागपुर/Inter State Control Board Colony Guest House, Opp : Hislop College, Civil Lines, Nagpur, – 440001 Telefax : 0712-2561116

Website: [www.nwda.gov.in](http://www.nwda.gov.in) Email: [eeidngp-nwda@gov.in](mailto:eeidngp-nwda@gov.in)



		with good working knowledge of Typing in English/Hindi also general cleanliness of the office, watch and ward duties, outdoor work such as delivery of dak files etc. and any other work assigned by the office/superior authority from time to time.			
--	--	---	--	--	--

**कार्यावधि :** एजेंसियों द्वारा सेवाओं के लिए प्रदान किये व्यक्तियों को कार्यालय कार्यपालक अभियंता, अन्वेषण प्रभाग, रा.ज.वि.अ., अंतर राज्यीय नियंत्रण बोर्ड कॉलोनी गेस्ट हाउस, हिसलॉप कॉलेज के सामने, सिविल लाईन्स, नागपुर-440001 में सामान्य कार्य दिवस सोमवार से शनिवार (रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर) कार्यकाल अवधि प्रातः 9.00 बजे से साय 5.00 बजे तक जिसमें आधा घण्टा खाने की छुट्टी 1.00 से 1.30 बजे तक शामिल है कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा ।

**Working time :** The persons deployed by agencies have to attend the Office of the Executive Engineer, National Water Development Agency, Inter State Control Board Colony Guest House, Opp: Hislop College, Civil Lines, Nagpur 440001 on normal working days i.e. from Monday to Saturday (except Sunday and National holidays) from 9.00 am to 5.00 pm with half an hour lunch break from 1.00 pm to 1.30 pm.

### नियम व शर्तें/ Terms & conditions

1 अभ्यर्थी का चरित्र एवं उसके पूर्ववर्ती का सत्यापन एजेंसी द्वारा इस उद्देश्य हेतु किया जाना आवश्यक है। एवं उसे कार्यालय में उचित मर्यादा बनाए रखना चाहिए।

The character and antecedents should have been well verified in respect of the persons recruited for this purpose and he should conduct well in the office.

2 आपूर्तिकर्ताओं का इस विषय में पूर्ण अनुभव एवं उत्तम पूर्ववर्ती होना आवश्यक है ।

The quotationers must possess sufficient experience in this field and must have good track record .

3 कोटेशन के साथ एजेंसी का पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीएसटी नंबर / TAN No./PAN NO., लाईसेंस वगैरह के मान्य प्रमाण पत्र (कागजात) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

Copy of registration, license, GST/TAN/PAN number etc. of the agency should be attached with the quotation.

4 मुहरबंद लिफाफे पर “एम टी एस की आपूर्ति हेतु कोटेशन” लिखा होना चाहिए ।

The envelopes containing the quotations must be superscribed with” Quotations for supply of “MTS”.

5 उल्लेखित दरें सभी शुल्कों जैसे मूल, वीडिए, भविष्य निधि (अन्य शुल्क सहित नियोक्ता योगदान @13% मूल, वीडिए इत्यादि का), ईएसआईसी (नियोक्ता योगदान@ 3.25% मूल, वीडिए का), कर व मासिक वेतन इत्यादि सहित विस्तृत होना चाहिए और उल्लेखित दरों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई अन्य प्रभार / वेतन देय नहीं होगा।

**शून्य प्रतिशत सेवा शुल्क पर बोली लगाने वाले सेवा प्रदाताओं को अयोग्य घोषित किया जाएगा । मुख्य श्रम आयुक्त (सी), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, के आदेश संख्या: 1/36/ (4) / 2019-एलएस -II दिनांक 23-09-2019 के अनुसार नागपुर शहर में अर्धकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें वीडिए सहित ₹ 666/- प्रति दिन (छह सौ छयासठ) केवल 01-04-2020 देय होगी ।**

The rates quoted must be in detail and shall include all charges i.e. Basic, VDA, P.F.(Employer contribution including other charges @ 13% of Basic ,VDA etc), ESIC (Employer contribution @ 3.25% of Basic ,VDA), service charges, taxes etc. and no additional charges/wages will be paid over and above the rates quoted. **Service providers bidding at zero percent service charges shall be disqualified. As per order No : 1/36/(4)/2019-LS-II dated 23-09-2019 of the O/o Chief Labour Commissioner(C), Ministry of Labour & Employment, Govt. of India, New Delhi, the minimum rates of wages including VDA for Semi-skilled category in Nagpur city payable w.e.f. 01-04-2020 would be Rs. 666/- per day ( Six hundred sixty six only).**

6 निविदादाता द्वारा संबंधित क्षेत्र में किये गये कार्य/ पूर्व अनुभव का विवरण आवश्यक दस्तावेजों के साथ तथा भिन्न शासकीय विभाग/फर्मों में संबंधित सेवा आपूर्ति करने बावत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना चाहिए ।

क्रमश/contd



The quotationers must enclose their work profile, details of previous experience in the relevant field with necessary enclosures including evidence of being engaged by reputed Firms/ Govt. departments etc.

7 निविदादाता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सेवाओं के संबंध में यदि कोई नियम व शर्तों है तो उसे विस्तृत देना होगा।

The additional terms and conditions of the quotationers for providing personnel, if any, should be mentioned in detail.

8 उपरोक्त सेवाएं 31.03.2021 तक के लिए होगी, जिसे विभागीय आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। The services are sought upto 31.03.2021 which may be reduced/ increased as per requirement of department.

9 कोटेशनदाता द्वारा उल्लेखित दरे सभी कर सहित कोटेशन खोलने की तिथि से 31.3.2021 तक की अवधि (शासन द्वारा न्यूनतम मजदूरी/डी.ए. में बदलाव को छोड़कर) के लिए मान्य होगी।

The rates including all taxes quoted by quotationers will be valid up to 31.03.2021 (except for changes in minimum wages/ DA by the Govt.).

10 फर्म/ एजेंसी की सेवा बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

The services of the agency could be terminated at any time without assigning any reason.

11 यह कार्यालय बिना कोई कारण बताए किसी एक या सभी कोटेशन अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। The office reserves the right to reject any or all quotations without assigning any reason.

12 कार्यालय के पास फर्म / एजेंसी द्वारा आपूर्ति किए गए व्यक्ति को बिना कारण बताए अमान्य करने एवं उसे बदलने की मांग की जा सकती है।

This office may ask for replacement of person supplied by the agency any time without the need to state any reason.

13 नियोजित कार्य में लिये गये व्यक्ति की संतोषजनक सेवा के उपरांत (वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर) संबंधित एजेंसी द्वारा दो प्रतियां में बिल मासिक कार्य प्रतिवेदन, संवैधानिक भुगतान के रशीद सहित प्रस्तुत करने पर भुगतान ऑनलाईन द्वारा किया जायेगा।

Payment shall be made after satisfactory completion of services by the persons engaged (on actual working days" basis) by online, on production of bills in duplicate along with the monthly work report and statutory payment receipts.

14 सेवाओं के लिये नियुक्त किये गये व्यक्ति की आपूर्ति एजेंसी द्वारा स्वीकृत दर के अलावा अन्य जैसे चोट/ दुर्घटना मृत्यु से संबंधित कोई जवाबदेही इस कार्यालय की नहीं होगी।

This office shall not be responsible for any other liability like injury/death etc. in respect of persons engaged other than that of the approved rate to the supplying agency/ placement agency.

15 सेवा प्रदान करने के नियम एवं शर्तों आपसी सलाह मशविरा से किसी भी समय रा.ज.वि.अ.द्वारा बदले जा सकते हैं।

The terms and conditions of the contract could be changed by NWDA at any time by mutual understanding duly recorded on paper.

16 फर्म या एजेंसी आपूर्ति किये गये कर्मचारी को एक परिचय पत्र जारी करेगी जिसे संबंधित व्यक्ति कार्य समय / अपनी इयूटी के दौरान अपने पास रखेगा।

The Agency/ firm shall provide identity card to its employees who shall keep it in their possession during duty/ working hours.

17 निविदाकर्ता/ प्लेसमेंट एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि समस्त लेबर संबंधित राज्य के कानून का पालन करेगी। The quotationers/ Placement agency shall abide by all Labour Laws & Acts of the state.

18 काम के लिए तैनात किए कर्मचारी की फोटो, बायोडाटा के साथ रिकार्ड के लिए अग्रिम में विभाग को दी जाएगी। Photographs along with resume of persons deployed for work will be submitted in advance for office record.

19. बोलीदाता/आपूर्तिकर्ता द्वारा सार्वजनिक खरीद के लिए ईमानदारी के संहिता का पालन करना चाहिए और आपूर्ति आदेश जारी करने से पहले, उसे ईमानदारी के कोड का पालन करने के बारे में एक घोषणा / प्रमाण पत्र देना होगा कि उसे किसी भी मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां माल/सामग्री की आपूर्ति के लिए से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

क्रमशः/contd

(4).

Bidder/Suppliers should comply the code of Integrity for Public Procurement (CIPP) and before issuing of supply order by this office, he/she has to give a declaration/certificate about abiding of code of integrity that he/she is not banned/blacklisted from any ministries/Department/Agencies for supply of the goods/material/ services.

20. उपरोक्त सेवार्ये दि. 01.04.2020 से अपेक्षित होगी |

20. Likely date of service required shall be w.e.f. 01.04.2020.

के. ए. न. 12/2/2020  
(के. ए. न. 12/2/2020)  
कार्यपालक अभियंता

- प्रतिलिपि: 1. अधिक्षण अभियंता, अन्वेषण वृत्त, राजविअ, वलसाड |  
2. लेखा शाखा, अ.प्र. राजविअ, नागपुर |  
3. सूचना पटल / Notice Board.

प्रति / To

मेसर्स .....

.....